भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3998
18 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

निष्कर्षण तकनीकों की तैनाती

3998. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रावः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उच्च उत्पादकता निष्कर्षण तकनीकों की तैनाती के संबंध में क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) सरकार द्वारा वनों, समुद्र तटों और आदिवासी पर्यावासों जैसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रचुर खनिज भंडार के संबंध में लिए गए नीतिगत निर्णय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) एवं (ख) : खान मंत्रालय खान और खनिज विकास अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों को प्रशासित करता है। खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 2017 को पर्यावरण सुरक्षा के लिए खनिज के संरक्षण और व्यवस्थित विकास हेतु अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी), 2019 में भी परिकल्पना की गई है कि स्टेकहोल्डर की सहभागिता से पर्यावरण की सततता को बनाए रखते हुए खनन किया जाना चाहिए। एनएमपी, 2019 के पैरा 6.4 में उपकरण और मशीनरी के उपयोग की परिकल्पना की गई है जो खनन प्रचालन की दक्षता, उत्पादकता तथा इकोनॉमिक्स के साथ-साथ खनिज बेनिफिसिएशन प्रक्रिया, खानों में कार्यशील व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करेगा। इसके अलावा, उक्त नीति में परिकल्पना की गई है कि खनन प्रचालन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील चिन्हित और जैविक रूप से संपन्न क्षेत्रों में सामान्य तौर पर नहीं किए जाएंगे।

*****